

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर

क्रमांक :- मुजिशिअ/अज/संस्था/2019/137

दिनांक :- 6-5-19

कार्यालय आदेश

जिले में समस्त कार्यव्यवस्थार्थ/शैक्षणिक व्यवस्थार्थ/अन्य कार्य/प्रतिनियुक्ति आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं। ऐसे समस्त शिक्षक/कर्मचारी/ अधिकारी दिनांक 08.05.2019 को कार्यमुक्त होकर दिनांक :- 09.05.2019 को अपने मूल कार्यरत स्थान पर अनिवार्यतः कार्यग्रहण करलें। जहाँ से उनका वेतन आहरित हो रहा है।

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/पी.ई.ई.ओ. ऐसे कर्मचारियों का माह मई 2019 का वेतन आहरित नहीं करेंगे जो कि मूल पदस्थापन कार्य स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करता है।

इस आदेश की अवहेलना करने वाले आहरण वितरण अधिकारियों के विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

— १४ —

(इज़हार अहमद खान)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
अजमेर

प्रतिलिपि :-

01. श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महोदय, अजमेर ।
02. श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा - राजस्थान बीकानेर।
03. श्रीमान् संयुक्त निदेशक शिक्षा अजमेर संभाग अजमेर ।
04. कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक अजमेर।
05. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
06. प्राचार्य डाईट मसूदा अजमेर।
07. समस्त प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य ।
08. रक्षित पत्रावली।



(अजय कुमार गुप्ता)
सहायक निदेशक
कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा
अधिकारी अजमेर